(462)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निगरानी- 2829/2018/देवास/भू.रा. प्र.क्र........../2018

सुभाषचंद्र पिता मथूराप्रसाद ओझा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांवेर तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

............प्रार्थी

विरूद्ध

सजनबाई पति राधेश्याम जाति चमार निवासी रैदास मार्ग वार्ड नं. 1 सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. कृषक ग्राम सांवेर तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र.

............प्रतिप्रार्थी

श्री ... द्वारा आज दि. 9-5-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-5-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

पुर्नरीक्षण/रिवीजन विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय, सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 35अ12/2017-18 के आदेश दिनांक 04/05/2018 एवं नप्ती दिनांक 01/05/2018

आधिन धारा 50 भू.रा.सं.

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और सें पुर्नरीक्षण/रिवीजन आवेदन पत्र मय आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सहित निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

1. यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार सें है कि प्रतिप्रार्थी द्वारा दिनांक 16/03/2018 को टंकित एक आवेदन पत्र ग्राम सांवेर तहसील सोनकच्छ जिला देवास म.प्र. की भूमि सर्वे नं. 324 रकबा 1.620 हेक्टेयर लगानी 12/-रूपयें 50 पैसें के सीमांकन हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर प्रकरण के रूप में रजिस्ट्रर्ड किये दिनांक 29/04/2018 को सुरेश गेहलोद पटवारी द्वारा एक सूचना पत्र पडोसी काश्तकार को जारी किया गया कि दिनांक 01/05/2018 को सीमांकन हेतु वें तहसीलदार महोदय भौरासा के आदेश क्रमांक आर.आई-1 दिनांक 15/04/2018 के पालन में मौके पर सीमांकन करने हेतु आएगें तथा बगैर प्रकरण रजिस्ट्रर्ड किये ही दिनांक 01/05/2018 को मौके पर एक पंचनामा बनाया गया कि दिनांक 21/03/2018 के पालन में राजस्व निरीक्षक व पटवारी मौके पर

XXIX(a)-BR(H)-11

(462)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2829/2018/देवास/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला देवास के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	